भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 489 वीं आरजीपी बैठक के कार्यवृत्त

स्थान - तक्षशिला कॉन्फ्रेंस हॉल, एनएमए

दिनांक एवं समय- 19 अगस्त, 2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

- प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - ***अध्यक्ष***
- श्री टीएन तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
- श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

<u>कार्यसूची संख्या 01</u>

488वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>कार्यसूची संख्या 02</u>

<u>ऑनलाइन नए मामले</u>

<u>मामला संख्या:01</u>

(स्वामी आत्मप्रणानंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, बेलगाम, रामकृष्ण मिशन आश्रम, फोर्ट, बेलगाम, कर्नाटक - 590016)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने एस वाई सं 345, फोर्ट, बेलगावी, बेलगाम, कर्नाटक में 11.48 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि सहित) की ऊंचाई वाले जीएफ + 1 मंजिल के साथ जी एफ = 468.25 वर्ग मीटर,1 एफ = 463.25 वर्ग मीटर, टेरेस तल = 30.21 वर्ग मीटर के तल क्षेत्र के साथ रामकृष्ण मिशन आश्रम के लिए विवेकानंद भवन के निर्माण हेतु अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। अनुमति देने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

भास्कर वर्मा

- आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
- आवेदक को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी होगी;
- आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा;
- निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आवेदक को संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा; और
- आवेदक को अग्नि एवं सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भवन उप-नियमों के अंतर्गत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

<u>मामला संख्या:02</u>

(श्रीमती गंगा देवी और श्री चंद्रकांत मोदी, लक्ष्मी नाथ मंदिर के पास, बीकानेर, राजस्थान)

आवेदन के अवलोकन के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

- प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 7.50 मीटर (सभी को मिलाकर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रस्तावित स्थल का पता भवन योजना और स्व-घोषणा में उल्लिखित नहीं था।
- फॉर्म-I और फॉर्म-II में दो आवेदकों के नाम अंकित थे, तथापि, स्व-घोषणा (एनएमए निर्धारित प्रारूप के अनुसार) पर एक आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी, राजस्थान के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या:03</u>

(श्री देवगढ़ प्रबंध दिगम्बर जैन समिति, श्री देवगढ़ प्रबंध दिगम्बर जैन समिति, घंटाघर शाही रोड के पास ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403)

आवेदन के अवलोकन के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

- प्रस्तावित संस्थागत सामाजिक सांस्कृतिक भवन (जैन धर्मशाला और जैन मेला ग्राउंड) का खंड और उन्नयन योजना संलग्न नहीं की गई।
- जैन धर्मशाला और मेला ग्राउंड का पूरा नक्शा संलग्न नहीं किया गया।

आवेदक को उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करना चाहिए और प्राधिकरण के समक्ष भौतिक प्रस्तुति देनी चाहिए तथा तदनुसार सक्षम प्राधिकारी, झांसी के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करना चाहिए।

<u>ऑफ़लाइन नया मामला</u>

<u>मामला संख्या:04</u>

(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पीआईयू- कटनी, एनएचएआई, परियोजना निदेशक कार्यालय, प्लॉट नंबर 170, महावीर कॉलोनी, झिंझरी, कटनी, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने आवेदक को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव के बारे में एक भौतिक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहते हुए मामला **वापस भेजने** का निर्णय लिया। चूँकि प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक है, इसलिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा अधिसूचित किसी विरासत निकाय द्वारा तैयार की गई विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो एनएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

<u>ऑनलाइन अनुपालन मामले</u>

<u>मामला संख्या:05</u>

(श्रीमती पूनम अग्रवाल पत्नी श्री अशोक अग्रवाल, बी - 57 द्वारिकापुरी, बीएसए कॉलेज मथुरा के पास, उत्तर प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद, प्राधिकरण ने प्लॉट संख्या - 4A, द्वारिकापुरी, मथुरा बांगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश में 07.45 मीटर (जिसमें ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि शामिल हैं) की ऊँचाई वाले जीएफ + 1 मंजिल के साथ जी एफ = 1एफ = 55.22 वर्ग मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण हेतु अनुमति देने की **अनुशंसा** करने का निर्णय लिया है. अनुमति देने की अनुशंसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

- आवेदक को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी होगी;
- आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माणकार्य के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा;
- निर्माण पूरा होने के बाद आवेदक को संबंधित स्थानीय निकाय से अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा; और
- आवेदक को अग्नि एवं सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भवन उप-नियमों के अंतर्गत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

<u>मामला संख्या:06</u>

(शाहिद अख्तर, हाउस-नं. 292/281 (069/1) एवं 292/69, तुलसीदास मार्ग, शिया कॉलेज विक्टोरिया स्ट्रीट चौक के सामने, लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

- प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 7.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित रखी जानी चाहिए।
- संबंधित केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक के संरक्षण और संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेसमेंट या एलजीएफ के निर्माण को हतोत्साहित किया जाता है।
- प्रस्तावित निर्माण स्थल तीन मालिकों के स्वामित्व में थे, जबकि अनुमति के लिए आवेदन एक मालिक द्वारा किया गया था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत कर सकता है।

<u>अतिरिक्त कार्यसूची</u>

<u>मामला संख्या: 07</u>

(श्री कवि घेई, श्रीमती नीरज घेई और सुश्री श्रेया घेई ने अपने जीपीए श्री कवि घेई के माध्यम से प्लॉट नंबर 65, ब्लॉक नंबर 171, सुंदर नगर, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद, प्राधिकरण ने ब्लॉक संख्या 171 में प्लॉट संख्या 65 सुंदर नगर, नई दिल्ली में 18.00 (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित)

की ऊंचाई वाले जी एफ + 2 मंजिलों के साथ जी एफ = 309.93 वर्ग मीटर,1 एफ = 303.65 वर्ग मीटर, 2एफ = 110.01 वर्ग मीटर और रेत भरने की नींव की गहराई = 02.70 मीटर तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया है अनुमति देने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा;
- आवेदक को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी होगी;
- आवेदक को निर्माणकार्य के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा;
- आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा;और
- आवेदक को अग्नि एवं सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भवन उप-नियमों के अंतर्गत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या:08</u>

(श्री हंसराज शर्मा, सीपीएम आरएलडीए अहमदाबाद कार्यालय, चौथी मंजिल, निर्माण भवन, डीआरएम कार्यालय के पास, असरवा (जीसीएस अस्पताल गेट नंबर 2 के सामने) अहमदाबाद, गुजरात - 382345)

05.08.2025 को आयोजित प्राधिकरण की 487 वीं (आरजीपी) बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव और संशोधित भवन योजना के अवलोकन के बाद, प्राधिकरण को पुनः मामला **वापस भेजने** के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसमें गंभीर चिंता व्यक्त की गई कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, टी3 भवन के लिए सेक्शन प्लान अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक से पुनः आग्रह है कि इस लंबित आवश्यकता के समाधान हेतु तत्काल कार्रवाई करें।